न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —39 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025 / 48

मुकुट बिहारी जोशी पुत्र स्व. दुर्गाशंकर जोशी निवासी 3—बी—10, महावीर नगर तृतीय, कोटा राज0

—अपीलाण्ट.

बनाम

शिल्पा शर्मा पत्नी श्री अमित जोशी जाति ब्राह्मण निवासी 19, लक्ष्मण विहार, कुन्हाडी, कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 27.09.2024 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा मिसल नंबर 41 / 2019

उपस्थितः—

1. श्री वी0के0 राठौड, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 17.06.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 41 / 2019 उनवान मुकुट बिहारी जोशी बनाम शिल्पा शर्मा में अन्तिम निर्णय दिनांक 23.2.2024 को पारित किया गया था । जिसमें अप्रार्थीया रेस्पो0 का जवाब प्रस्तुत नहीं होने से अप्रार्थीया के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अप्रार्थीया को वर्णित मकान से बेदखल करने के आदेश दिये गये थे । तत्पश्चात अप्रार्थीया शिल्पा द्वारा दिनांक 27.6.24 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 व आदेश 47 नियम 1 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का विरूद्व आदेश दिनांक 23.2.2024 के प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया शिल्पा शर्मा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 23.2.2024 उनवान मुकुट बिहारी जोशी बनाम शिल्पा शर्मा में निर्णय की पालना की कार्यवाही स्थगित की गई तथा यह भी आदेश पारित किया कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम—5 उत्तर कोटा से निर्णय होने के उपरांत यदि अप्रार्थी मुकुट बिहारी जोशी इस न्यायालय से राहत चाहता हो तो पुनः आवेदन प्रस्तुत करें ।
2. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी शिल्पा शर्मा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 व आदेश 47 नियम 1 सीपीसी पर जारी आदेश दिनांक 27.9.2025 के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17.3.2025 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही अन्तर्गत धारा 24 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 23.2.2024 को न्यायालय के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थी के पक्ष में यह आदेश पारित किया कि अप्रार्थी पक्ष को प्रार्थी के मकान नम्बर 3—बी—10 महावीर नगर तृतीय, कोटा से बेदखल किया जाता है तथा दौराने बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभंग ना हो, इसलिये तहसीलदार लाडपुरा को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर थानाधिकारी महावीर नगर कोटा को आदेशित किया जाता है कि मय जाप्ता मौके पर उपस्थित रहे । अप्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी है उसके पश्चात भी अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की खुले रूप

जिला कलक्टर
कोटा

से अवहेलना कर रहा है तथा प्रार्थी को वृद्धावस्था में आये दिन गाली गलोच आदि करती आ रही है तथा शांतिपूर्ण निवास में व्यवधान उत्पन्न कर रही है तथा परिसर खाली करने को कहने पर लडाई झगडा करने पर आमादा होती है आदि तथ्यों के आधार पर पुलिस इमदाद से आदेश की पालना करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया था । उक्त आदेश की क्रियान्विति हेतु कार्यवाही प्रस्तुत की गई, उसी दौराने रेस्पोडेन्ट ने रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया और उक्त रिव्यू आवेदन पर निर्णय दिनांक 23.2.2024 की पालना स्थगित की गई । जिसकी पालना में यह अपील प्रस्तुत की गई है । विचारण न्यायालय का उक्त आदेश विधि न्याय संचिता व कानून के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । किसी भी निर्णय के निष्पादन की कार्यवाही प्रस्तुत होने के पश्चात रिव्यू आवेदन पोषणीय नहीं है जबकि रेस्पोडेन्ट को जवाब व साक्ष्य का पूर्ण अवसर दिया गया था, जिस पर रेस्पोडेन्ट ने लगभग 7–8 मर्तबा अवसर लेने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया और विचारण न्यायालय में अवधि बाधित रिव्यू आवेदन को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.2.2024 के निर्णय को स्थगित कर दिया जो कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री ब्रह्मानन्द शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ । अधीनस्थ न्यायालय की रिव्यू पत्रावली तलब की गई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही अन्तर्गत धारा 24 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 23.2.2024 को न्यायालय के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थी के पक्ष में यह आदेश पारित किया कि अप्रार्थी पक्ष को प्रार्थी के मकान नम्बर 3–बी–10 महावीर नगर तृतीय, कोटा से बेदखल किया जाता है तथा दौराने बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभंग ना हो, इसलिये तहसीलदार लाडपुरा को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर थानाधिकारी महावीर नगर कोटा को आदेशित किया जाता है कि मय जाप्ता मौके पर उपस्थित रहे । अप्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी है उसके पश्चात भी अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की खुले रूप से अवहेलना कर रहा है तथा प्रार्थी को वृद्वावस्था में आये दिन गाली गलोच आदि करती आ रही है तथा शांतिपूर्ण निवास में व्यवधान उत्पन्न कर रही है तथा परिसर खाली करने को कहने पर लडाई झगडा करने पर आमादा होती है आदि तथ्यों के आधार पर पुलिस इमदाद से आदेश की पालना करवाये जाने हेतु आदि तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया था । उक्त आदेश की क्रियान्विति हेतु कार्यवाही प्रस्तुत की गई, उसी दौरान रेस्पोडेन्ट ने रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया और उक्त रिव्यू आवेदन पर निर्णय दिनांक 23.2.2024 की पालना स्थगित की गई । जिसकी पालना में यह अपील प्रस्तुत की गई है । विचारण न्यायालय का उक्त आदेश विधि न्याय संचिता व कानून के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । किसी भी निर्णय के निष्पादन की कार्यवाही प्रस्तुत होने के पश्चात रिव्यू आवेदन पोषणीय नहीं है जबकि रेस्पोडेन्ट को जवाब व साक्ष्य का पूर्ण अवसर दिया गया था, जिस पर रेस्पोडेन्ट ने लगभग 7–8 मर्तबा अवसर लेने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया और विचारण न्यायालय में अवधि बाधित रिव्यू आवेदन को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.2.2024 के निर्णय को स्थगित कर दिया जो कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र के आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी, अपीलान्ट आदेश दिनांक 23.2.2024 के निष्पादन हेतु कार्यवाही में भाग ले रहा था एवं प्रयासरत था और उक्त आदेश हेतु प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और ना ही जानकारी दी गई, प्रार्थी निष्पादन की कार्यवाही में वारन्ट को जारी करवाने हेतु विचारण न्यायालय में प्रयास करने पर जानकारी हुई कि उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 27.9.2024 के द्वारा आदेश दिनांक 23.2.2024 के

जिला कलक्टर
कोटा

आदेश की कियान्विति स्थगित कर दी गई जिस पर नकल प्राप्त की, नकल प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक होने से व बीमार होने से अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका इसलिए प्रार्थी नकल प्राप्त होने के पश्चात भी अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता । उक्त देरी सदभाविक है जो कि क्षम्य योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 27.9.2024 को अपास्त फरमाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2024 की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर यह प्रथम दृष्टया साबित है कि अप्रार्थी मुकुट बिहारी जोशी द्वारा कभी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कोई कानूनी कार्यवाही संपादित नहीं की है तथा प्रार्थीया के विरूद्व उक्त निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित करवाया है, प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट द्वारा अमित जोशी सहित अपीलांट व अन्य परिजनों के विरूद्व विभिन्न न्यायालयों में घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की हुई है, इसलिये अमित जोशी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थीया के विरूद्व अपने पिता से छद्म रूप से प्रस्तुत करवाया जाकर उक्त निर्णय पारित करवाया गया है । दिनांक 4.2.2020 की आदेशिका में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को दस्तावेज की प्रति देने से इंकार किया गया तदुपरान्त दिनांक 16.3.2020 को पुनः प्रार्थीया द्वारा दस्तावेज चाहे गये, परन्तु अप्रार्थी द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये, तदुपरान्त लगभग 27 पेशीयों तक उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा अचानक दिनांक 7.4.2022 को अप्रार्थी मुकुट बिहारी के उपस्थित न होते हुये भी तथा उसकी उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर न होते हुये भी अवैध मनमाने रूप से प्रार्थीया की अनुपस्थिति दर्ज कर एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये गये तथा पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत कर दी गई । दिनांक 7.12.2023 को अप्रार्थी मुकुट बिहारी जोशी के उपस्थित न होते हुये भी तथा अधिवक्ता की उपस्थिति अवैध व गैर कानूनी रूप से दर्ज कर प्रार्थीया का जवाब का अवसर बंद कर दिया गया तदपरान्त 2 पेशी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई दिनांक 23.2.2024 को उक्त निर्णय पारित कर दिया गया । अप्रार्थी मुकुट बिहारी जोशी ने इस महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर कि प्रार्थीया द्वारा प्रसतुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–5 उत्तर कोटा द्वारा उनवान प्रकरण शिल्पा शर्मा बनाम अमित जोशी वगै0 जिसमें अप्रार्थी भी पक्षकार था यह आदेश पारित किया कि–"प्रकरण के निस्तारण होने तक प्रतिपक्षीगण परिवादिया को साझा गृहस्थी के मकान से बेकब्जा नहीं करें, किसी भी रीति से परिवादिया के निवास करने में न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें ना किसी से करवाये, प्रतिपक्षीगण परिवादिया के हिस्से में जिसमें वह निवास कर रही है उसमें प्रवेश नहीं करें ओर ना ही किसी अन्य से प्रवेश करवाये तथा न्यायालय की अनुमति के बिना उक्त सम्पत्ति को विक्रय, व्ययन या अन्य संक्रामण नहीं करें ।" आदेश आज दिन तक भी प्रभावी है क्योंकि उक्त आदेश की अपील अप्रार्थीगण अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीडन क्रम संख्या 1 कोटा के समक्ष दांडिक अपील संख्या 4/2022 प्रस्तुत की थी जहां से उक्त अपील भी दिनांक 18.8.2023 को खारिज की जाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–5 उत्तर कोटा के आदेश को बहाल रखा गया, उक्त सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह कर अप्रार्थी मुकुट बिहारी जोशी ने उक्त आदेश पारित करवाया है तथा उक्त आदेश रेस्पोडेन्ट की जानकारी एवं बिना रेस्पोडेन्ट के जवाब को कन्सीडर किये प्रस्तुत किया गया था, जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 व आदेश 47 नियम 1 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 151 का प्रस्तुत किया जाने पर सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके पूर्व आदेश दिनांक 23.02.2024 की कियान्विति स्थगित की गई है जिसमें कोई अनुचित नहीं है । चूंकि रेस्पोडेन्ट का जवाब कन्सीडर नहीं किया जाने से न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो उचित होने से प्रस्तुत अपील खाजिर फरमाई जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के रिव्यू आदेश दिनांक 27.9.2024 की अप्रसन्नता में दिनांक 17.3.2025 को मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर है किन्तु रेस्पोडेन्ट ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब नहीं दिया ओर ना ही मियाद के विन्दु के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है । इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.02.2024 से अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को मकान नम्बर 3 बी 10 महावीर नगर तृतीय कोटा से बेदखल किया जाने के आदेश पारित किये गये थे, उक्त निर्णय में अप्रार्थीया रेस्पोडेन्ट का जवाब का अवसर बन्द कर जवाब कन्सीडर नहीं होने एवं एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 सीपीसी का प्रस्तुत करने एवं माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–5 उत्तर कोटा द्वारा उनवान प्रकरण शिल्पा शर्मा बनाम अमित जोशी में प्रकरण के निस्तारण तक प्रतिपक्षीगण को परिवादिया को साझा गृहस्थी के मकान से बेकब्जा नहीं करने, किसी भी रीति से परिवादिया के निवास करने में न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करे ना किसी से करवाये बाबत स्थगन आदेश दिनांक 8.12.2021 को पारित किया गया था । चूंकि रेस्पोडेन्ट शिल्पा शर्मा का जवाब प्रस्तुत नहीं होने से न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–5 उत्तर कोटा का स्थगन आदेश 8.12.2021 प्रभावी होने का तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलीं पर नहीं आने से ही अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2025 से पूर्व निर्णय दिनांक 23.2.2024 की कियान्विति स्थगित की गई है । जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.09.2024 में हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 17.6.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा